

पत्रांक- 468 / 34व्यक-स्थानान्तरण-सा0 / 2023

दिनांक- 27/03/2024

-:कार्यालय ज्ञाप:-

शासकीय पत्रसंख्या-270 / 111(1) / 18-86(अधि0) / 2007 दिनांक-26.02.2018 द्वारा उत्तराखण्ड लोक सेवको के लिये वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 (संख्या-01 वर्ष 2018) के अनुपालन में इस कार्यालय के ज्ञाप संख्या-672 / 34व्यक-स्थाना0-सा0 / 2018 दिनांक-31.03.2018, ज्ञाप संख्या-40 / 34व्यक-स्थाना0-सा0 / 2020 दिनांक-04.01.2020, ज्ञाप संख्या-591 / 34व्यक-स्थाना0-सा0 / 22 दिनांक-26.04.2022 एवं ज्ञाप संख्या-293 / 34व्यक-स्थाना0-सा0 / 22 दिनांक-24.02.2023 द्वारा उत्तराखण्ड लोक निर्माण विभाग के दुर्गम एवं सुगम स्थलों के चिह्निकरण किये जाने के आदेश पारित किये गये हैं।

उक्त सम्बन्ध में उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिये वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम-2017 (संख्या-01 वर्ष 2018) के अन्तर्गत वर्ष-2023 के स्थानान्तरण हेतु लोक निर्माण विभाग के समूह-क/ ख/ग के अधिकारियों/कर्मचारियों के सम्बन्ध में चिह्निकरण अर्थात् सुगम व दुर्गम स्थलों को उपरोक्त कार्यालय ज्ञाप दिनांक-31.03.2018, दिनांक-04.01.2020, दिनांक-26.04.2022 एवं दिनांक-24.02.2023 के द्वारा किये गये सुगम/दुर्गम चिह्निकरण यथावत रखे जाने के आदेश एतद्वारा पारित किये जाते हैं।

ए/-

(दीपक कुमार यादव)

प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष

प्रतिलिपि निम्नलिखित निम्नलिखित को उपरोक्तानुसार सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

01. प्रमुख सचिव, लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
02. मुख्य अभियन्ता (अधिष्ठान/नियोजन), विभागाध्यक्ष कार्यालय, लोक निर्माण विभाग, देहरादून।
03. समस्त मुख्य अभियन्ता, उत्तराखण्ड, लोक निर्माण विभाग।
04. वित्त नियंत्रक, विभागाध्यक्ष कार्यालय, लोक निर्माण विभाग, देहरादून।
05. वरिष्ठ स्टॉफ आफिसर (अधिष्ठान/नियोजन), विभागाध्यक्ष कार्यालय, लोक निर्माण विभाग, देहरादून।
06. समस्त अधीक्षण अभियन्ता, उत्तराखण्ड, लोक निर्माण विभाग।
07. समस्त अधिशासी अभियन्ता, उत्तराखण्ड, लोक निर्माण विभाग।
08. अधिशासी अभियन्ता (आई0टी0), विभागाध्यक्ष कार्यालय, लो0नि0वि0, देहरादून को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि इस कार्यालय ज्ञाप को लोक निर्माण विभाग की वेबसाईट पर अपलोड करना सुनिश्चित करें।
09. मुख्य प्रशासनिक अधिकारी, विभागाध्यक्ष कार्यालय, लोक निर्माण विभाग, देहरादून।
10. प्रशासनिक/वरिष्ठ प्रशासनिक/मुख्य प्रशासनिक अधिकारी, व्यवस्थापन-ख/ग/घ एवं कार्य प्रभारित वर्ग, विभागाध्यक्ष कार्यालय, लोक निर्माण विभाग, देहरादून।
11. लोक निर्माण विभाग के समस्त मान्यता प्राप्त संघ.....
12. गार्ड पत्रावली हेतु।

प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष